



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

ई-मेल— [budradmn22@gmail.com](mailto:budradmn22@gmail.com)

वेबसाइट— [www.bubhopal.ac.in/](http://www.bubhopal.ac.in/) [www.bu.mponline.gov.in](http://www.bu.mponline.gov.in)

संदर्भ :- विज्ञापन (i) क्र 525/प्रशा./विज्ञापन /2025  
दिनांक 01.05.2025

आवेदन की अंतिम तिथि 31.05.2025

शुल्क राशि— अनारक्षित रु. 750/-  
आरक्षित वर्ग रु. 500/-  
(SC/ST/OBC/EWS/PH)

### :: महत्वपूर्ण निर्देश ::

(विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती)  
(यू.जी.सी. के रेग्युलेशन 2018 तथा संशोधित रेग्युलेशन-2021 एवं 2023 के संदर्भ में)

1. रिक्त पदों की जानकारी सहित शुल्क विवरण/On-Line पंजीयन प्रपत्र/आवेदन प्रपत्र आदि समस्त जानकारीयों विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.bubhopal.ac.in/www.bu.mponline.gov.in](http://www.bubhopal.ac.in/www.bu.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है। आगामी निर्देश भी समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
2. वेबसाइट पर उपलब्ध पंजीयन पत्र को ऑनलाईन भरना एवं शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इस पंजीयन पत्र की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावे। इसके अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (आवश्यक प्रमाण-पत्र, अंकसूची आदि की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियों के साथ) कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल-462026 के कार्यालय में दिनांक 07.05.2025 से व्यक्तिशः/स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालयीन समय में दिनांक 31.05.2025 तक प्राप्त किये जाएंगे। डाक में विलम्ब का दायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा। इसके उपरान्त आने वाले आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
4. लिफाफे पर शैक्षणिक पद हेतु आवेदन' अंकित होना चाहिए तथा लिफाफा कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल-462026 के पते पर प्रेषित किया जाना चाहिए।
5. **शुल्क** :- आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिये रु. 750 तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS/PH) के लिये रु 500 (प्रति आवेदन) है, जिसे पंजीयन पत्र के साथ On-Line जमा किया जाना है। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
6. आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पदनाम, विषय एवं पंजीयन क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
7. **पंजीयन** :-
  - (i) सर्व प्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.bubhopal.ac.in/www.bu.mponline.gov.in](http://www.bubhopal.ac.in/www.bu.mponline.gov.in) पर पंजीयन पत्र को On-Line भरना तथा आवेदन शुल्क का On-Line भुगतान करना अनिवार्य है।
  - (ii) शुल्क राशि सफलतापूर्वक जमा होने पर QR CODE एवं आवेदन क्रमांक दिखेगा।
  - (iii) इसके उपरान्त पंजीयन पत्र केवल ए-4 साइज के कागज पर प्रिंट करें तथा इस पंजीयन पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ (सबसे ऊपर) अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - (iv) एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक पद के लिए पृथक से शुल्क भुगतान कर, पंजीयन करना तथा आवेदन क्रमांक प्राप्त करना अनिवार्य है।

निरंतर...02....

## 8. आवेदन :-

- (i) प्रत्येक पद हेतु पृथक पंजीयन सहित केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (ii) आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) से डाउनलोड कर केवल ए-4 साइज के कागज पर स्वतः प्रिंट करें।
- (iii) आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से काले/नीले बाल पेन से टंकित की जा सकती है।
- (iv) आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिये।
- (v) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, अनुभव, शोध, प्रकाशन एवं अन्य जानकारी के समर्थन में संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित छाया प्रतियाँ (सूची सहित) संलग्न करना अनिवार्य है।
- (vi) अपूर्ण/अस्पष्ट भरे हुए आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- (vii) आवेदन प्रपत्र के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन न करने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (viii) पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नहीं है।

9. **आरक्षण की पात्रता :-** म.प्र. के मूल निवासी एवं केवल "मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अद्यतन प्रमाण-पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आरक्षण (जाति-SC/ST/OBC/EWS/PH) का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।" उपरोक्तानुसार जारी अद्यतन प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। दिव्यांगजन एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

## 10. न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य सेवा शर्तें

- (i) विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हताएं, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तें वि.वि. अनुदान आयोग (U.G.C.) तथा विश्वविद्यालय में अद्यतन लागू नियमों के अनुसार होगी।
- (ii) यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक एफ. नं.9-42/2023(PS/MISC)pt.Vol-II) दिनांक 06 जून 2021 के अनुसार सहायक प्राध्यापक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता:-  
"A Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, Like SLET/SET., or who are have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations. 2009 or 2016 and their amendments from time time as the case may be exempted from NET/SLET/SET."
- (iii) यू.जी.सी. अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2023 के प्रावधानानुसार "स्लेट/सेट स्कोर संबंधित राज्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में नियुक्ति के लिये मान्य होगा।

## 11. अपात्रता :- निम्नांकित अभ्यर्थी आवेदन एवं चयन हेतु पात्र नहीं होंगे:-

- (i) न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक प्रकरण में दण्डित अभ्यर्थी।
- (ii) मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आरक्षण (जाति-SC/ST/OBC/EWS/PH) प्रमाण-पत्र धारी।
- (iii) न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी।
- (iv) त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/भ्रामक जानकारी देने वाले तथा/अथवा जानकारी छुपाने वाले अभ्यर्थी।
- (v) शासन/वि.वि. के किसी अन्य नियम के अंतर्गत म.प्र. शासन की सेवा हेतु अपात्र अभ्यर्थी।

12. अन्यत्र शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार से वंचित किया जाएगा।
13. रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय परिवर्तन करने तथा घोषित रिक्तियों निरस्त करने सहित, घोषित रिक्तियों पर चयन करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
14. प्रकाशित विज्ञापन एवं शर्तों में उल्लेखित न्यूनतम अर्हताओं को धारित करने मात्र से किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उपयुक्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने तथा चयन हेतु आवश्यकतानुसार मापदंड निर्धारण करना विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार है।
15. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसके परिमार्जन हेतु उचित कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
16. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के नियम आदि उनकी वेब साईट [ugc.ac.in](http://ugc.ac.in) पर देखे जा सकते हैं।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
18. न्यायिक विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्राधिकार भोपाल शहर का होगा।



कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल